मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
<u>मंत्रालय</u>

—:: <u>आदेश</u> ::—

भोपाल, दिनांक 04 / 05 / 2018

क्रमांक एफ 01—01 / 2018 / सत्रह / मेडि—एक :: म0प्र0 लोक स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ संवर्ग में स्वीकृत रिक्त पद को सुरक्षित रखते हुये उनमें से 01 पद को 01 वर्ष के लिये संविदा पद घोषित करते हुये इस पद पर डॉ. आर. के. राय, शिशुरोग विशेषज्ञ, जे.पी. हॉस्पिटल, भोपाल को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.03.2018 के उपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. आर.के. राय, शिशुरोग विशेषज्ञ को 01 वर्ष की संविदा पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रदान की जाती है :—

1. संविदा सेवा में नियुक्ति के लिए अवधि एक वर्ष होगी।
2. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
3. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि भी देय नहीं होगी।
5. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन / पीएआर (परफारमेंस एपराइजल रिपोर्ट) लिखा जाएगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सके।
6. सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की संविदा नियुक्ति के दौरान उसे अन्य कार्यालय में समकक्ष पद पर स्थानांतरित किया जा सकेगा और उसे संविदा नियुक्ति के पद के कार्य के साथ—साथ अन्य पद का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा जा सकेगा, जिसे स्वीकार करना उसके लिए बाध्यकारी होगा।
7. संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति सेवानिवृत्ति के समय यदि शासकीय आवास में रह रहा हो तो उसे शासकीय आवास की पात्रता बनी रहेगी तथा उससे मध्यप्रदेश मूलभूत नियम 45—क के अनुसार लाइसेंस शुल्क की वसूली की जाएगी।
8. निर्वचन—यदि इन नियमों के निर्वयचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन के सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

2/ उक्त संविदा नियुक्ति पूर्ण होने के उपरान्त घोषित संविदा पद, नियमित पद में स्वतः परिवर्तित हो जावेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 01–01/2018/सत्रह/मेडि–एक **भोपाल, दिनांक** 04 **/05/2018**
प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार जिला ग्वालियर म.प्र.।
2 सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. आयुक्त, कोष एवं लेखा भोपाल।
8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल, मध्यप्रदेश।
10. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल, म.प्र.।
11. संबंधित डॉ. आर.के. राय, शिशुरोग विशेषज्ञ, जे.पी. हॉस्पिटल, भोपाल म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

11. स्टाक फाईल।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग